

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ho 27]

नई बिल्ली, शनिवार, जुलाई 8, 1995/आवाढ़ 17, 1917

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 8, 1995/ASHADA 17, 1917

इस भाग में भिन्न एष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप मे

रकामासक

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग 11-- कुन्छ 3-- उप-खुन्छ (i) PART II -- Section 3 -- Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भीर केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के प्रन्तर्गत बनाए ग्रीर जारी किये गए साधारण साविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आहि सम्मिलित हैं)

> General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

> > गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 1995

सा.का. नि. 316 .- केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल श्रिधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय में ज्येष्ठ पश् चिकित्सा शत्य चिकित्सक के पद पर भर्ती की पदाति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रथीत् :--

- 1. संक्षिप्त नाम ग्रौर प्रारम्भ
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, ज्येष्ठ पश्चिकित्सा शल्य-चिकित्सक समह "क" पद पर भर्ती नियम, 1994 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख की प्रवत्त होंगे।
 - 2. पद संख्या, वर्गीकरण श्रौर वेतनमान :

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण भीर उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपादक श्रनसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिदिष्ट हैं।

(1501)

1509 GI/95-1

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विशवविद्यालय

नई दिल्ली, 21 जून, 1995

सा.का. का. 320 - हे मां च मृ.बि. प्रावित्तम, 1985 (1985 ता सं. 50) की धारा 25 (2) के अंतर्गत प्रकृत गरितमें का प्रयोग करते हुए, प्रबंध बोर्ड, सातव संगाधन विकास मंत्रात्म के दिनांक 22-3-95 के पद मं. एक. 5-9/94-यू । बेस्क के माध्यम से प्राप्त कुताविपति के प्रतृमीदन ने संविधि 10क के खंड (5) में संगोधन करता है। मंगोधन के बाद संविधि 10क का खंड (5) निस्न ग्रकार से प्रां ज्याग् :

"(5) दोई भावण्यकसानुसार भ्रपनी भैठक आयोजिन करेगा. लेकिन वर्ष में कम से कम दी बैठकें आयोजिन करमा आमण्यक है। विद्यापीठ की बैठक के लिए बोर्ड के गुरू सदस्यों के एक तिहाद भाग से कोरम बनेगा।

यद नंशीचन 32-3-1995 में प्रभावी माना जाएगा ।

[गं,आफ्री/प्रणा (जी)/एस टी 10क/89] विनेश वद पत, नार्यकारी कुल स्विध

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 21st June, 1995

G.S.R. 326.—In exercise of the powers conferred on it under Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management made an amendment to Clause (5) of Statute 10A with the approval of the Visitor conveyed vide MHRD Letter No. F. 5-9|94-U. 1 Desk dated 22-3-1995. Clause (5) of Statute 10A after amendment will read as follows:

"(5) The Board shall meet, as and when necessary, but shall meet at least twice a year. One third of the total membership of the Board shall form a quorum for a meeting of the School."

This amendment will be effective from 22-3-1995.

[No. IG|ADMN(G)|ST10A|89] D. C. PANT, Acting Registrar

यूनरा और प्रमारण मंद्रालय

नई दिल्भी: 20 जून: 1495

मा का .ति. 327--- राष्ट्रपति. सर्विधान के धनुरुष्टेय 309 के परन्तुक द्वारा प्रयक्त शरितयों का प्रयोग करने हुए. श्राकामवार्णा, भिविस निर्माण स्कन्ध (समूह के बीर समूह वि पर) मती निर्मा 1988 का संशोधन करने के लिए निस्तिखित निर्मा बनाते हैं, प्रथान् :---

- ा. (1) अन नियमों का नंकिन्त नाम आकारशाणी, सिविल निर्माण सान्ध (समृत्र्"पाँ और समृत्र "ख" पर) भनीं (संगोधन) नियम 1995 है।
- (2) में राजपन्न में प्रकाणन की मारीख को प्रश्नन होगे।
- 2. प्राक्तावाजाणी, सिविल निर्माण स्कन्ध (समृह "क" और समृह "व" पद) मती लियम 1988 की प्रमृत् वो में, प्रवीक्षण संकर्म सर्वेक्षण (विद्युत)/प्रधीक्षक हंकीनियर (विद्युत), अधीक्षक संकर्म गर्वेक्षक (सिविल)/प्रधीक्षक हंकीनियर (सिविल), कार्यपालक हंकीनियर (विद्युत) सर्वेक्षक संकर्म (विद्युत), कार्यपालक हंकीनियर (सिविल)/सर्वेक्षक संकर्म (मिविल)/मुख्य हंजीनियर (सिविल) का वंकीनियर प्रिविक्ता के पदी से सर्वित कम संक्याक 2.3 ६ और ६ तथा उनसे संबंधित विद्युत्ता के स्थान पर निस्त्रलिखित रखा जाएगा मर्थाल :---

मनुष्यी

म≭ का नाम	मझें की संख्या	सर्गोकरण	वेन्द्रन मा न	जयत् पद श्रमेका भवयत् पव	मीघे भर्ती किए जाने वाले काक्तियों के लिए चागु-मीया	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायवा केन्द्रीम सिविश्व सेवा (गेंगव) निवम 1972 के नियम 30 के मधीन प्रकृषेय हैं सा तहीं
1	2	3	4	5	6	7
ः मधीक्षक संजर्ध सर्वेद्यक (विद्युत)/ सर्धीक्षक दंगीनियर (विद्युष)		नाधारण केन्द्रिय भेदा, समृह्र 'क्', राजपश्चितः स्रमनुमक्षियीय	3700-125-4709- 150-5000 स्वय	चगन	लाग् सर्श होता	नाम् न हीं होता

यवि विभागीय प्रोप्तति समिति है, तो उसकी संरचना भ भी करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा मायोग से परामर्श किया जाएगा 13 14 समृद्द 'क' विभागीय श्रीक्षति समिति (भ्रोक्षति के संबंध में विचार करने के लिए)

प्रतिनिय्क्ति पर स्थानान्तरण हारा मियुक्ति के लिए अधिकतम प्राय सीमा धार्येश्वन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से भविक नही होगी।

संघ लीक सेवा धार्याय से परामर्ग भारता प्रावस्थक नहीं है।

1.	Ĭ				14		
1. घष्यक्ष/सवस्य, संघ	लोक सेमा आयो	गधभ्यक्ष					
2. संयुक्त सचिव, सूच	ना और प्रसार ण	मंत्रालयसदस्य					
3. मुख्य इं जीनियर, प्र	कामवाणी । ः	र स्थ					
 मुख्य इंजीनियर, इ 	रदर्गनमदस्य						
 मुक्य इंजीनियर (सिबिल), सिविल	ा निर्माण स्कन्धसदस्य					
	58.6						
1	2	3	4	5	6	7	
3 ग्रधीशक संकर्भ	10*	स,धारण केलीय धेवा,	3706-125-4700-	चभम	लागु नहीं होता	नागू नहीं होता	
सर्वेक्षक (सिविल)/	(1995)	समूह 'क', राजपत्रित,	150-5000 ব-		201 CO 100000 100	SEC STATEMENTS	
श्रश्रीक्षक इंजी निघर	^क कार्यभार के	भन नुमश्चिष ीय					
(सिविस्त)	प्राधार पर परिवर्तन						
	किया आ						
	सकता है।						
Land Control of the C	8	frie Man Per, ago ago in sampual berner served PP Per (1) ng 1774-1944	and the second s	9	oern og geneggende sid skeleder om florgeg da	10	
Englands on particular action to the form	गण् नहीं होता	The device the games of the second se	लागु नहीं होता		a karang _{a d} a kalamaja aya ayanara (—4 k.) — 3 m. a ya pag	भागू नहीं होता	
- 0 -	- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Automorphis (All All All All All All All All All Al					
مرسرس والمحمومة المحافظة والمحادرة والمحادرة والمحادرة والمحادرة والمحادرة والمحادثة و			eri PPP (kun perjaman pamajan kerapanan ahii a perjama	ساوني ساويون جو ساده داد و کراند	و جو سووسوليسة شندانستان جوالشاودورو ودود سويدي جوالسان	er sær av av averamentelses gente fyggengen en av avegæ	
	11				12		
प्रोभित द्वारा जिसके न हो	सकने पर महिनि	म्बित पर स्थानान्तरण द्वार	reserved as a server of the se		App. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Carrier services de contra assertante de contra de consensa de con	
S.							
						ने सर्वेक्षक (सिविस)/इंजीनियर भिषाच वर्ष मियमित सेवा की	
						र विश्वविद्यालय से इंजीनियरी	
					प्तममुख्य अर्हता है।		
				टिप्पण : जबो ।	ऐसे कनिष्ठ ध्यक्तियों एक	जिल्होंने अपनी भहेंक पातना	
						लिए अन्य उमेष्ट व्यक्तियों के	
				साथ विचार	किया जारहा है, बहां	जगके ज्येष्ट व्यक्तिया पर भी	
				प्रकार की अ	लिए विचार किया जायग क्षेत्रेका स्पोधिक सर्वेटा	ा परंगु यह तब अव कि अनेके पाधना सेवा से एक वर्ष से	
						भाषामा चया सामुकः वया सा पनी परिवीक्षा प्रविधः सकल्ता	
					कर नी है।	to the last arrange	
				प्रतिनियुक्ति प	र क्थानकारण:		
				केन्द्रीय सरकार	के प्रधीन ऐसे अधिकारी :		
				(ক) (ı) ज	ा निवमित प्राधार पर सब्ब	। पद धारण किए हुए हैं, या	
					30004500 रुपए बास विक्रिमित सेवा की है.	मीतुरुध प्रेतनसान वाले पदी में और	
				(আ) জিনকা	पास निम्मलिखिन प्रहेता	र् और क्षम्भव है:	
				(1) किमी प मैं दिशी मा		ग ग निवित्त इंजीनिक्ष्य	

(12)

प्रोक्षिति हारा जिसके न हो रूकने पर प्रतिनियुक्ति पर रुया प्राप्तारण द्वारा ।

(11)

प्रोप्तिः

हिंसे सहायक कार्यवालक चंजिनियर (विश्वृत), शिन्होंने अस श्रेण। से प्रविवर्ध नियमित सेवा की है और हैसे सहायक विश्वीनियर (क्षिय्त) गहायक संकर्म सर्वेक्षक (क्षियुत) अधीक्षक इंजी-नियर श्रिश्रोक्षक संकर्म सर्वेक्षक (क्षियुत) का इंजीनियरी सहायक जिनके पास इंजीनियरी में डिग्री है और उस श्रेणी में श्राठ वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिनके पास इंजीनियरी में इिल्लोमा हो. उन्होंने उस श्रेणी से ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1:—-प्रोन्नित के लिए पावता सूची श्रधिकारियों द्वारा अपनी-श्रपती श्रेणी / पदों पर श्रपेक्षित ग्रर्ह्क सेंबा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2:—-ऐसे महायक इंजीनियरों की श्रेणी में पदों की कृष संख्या जिनको डिप्लोमा धारक सहायक इंजीनियरों डारा किसी एक समय में भरा जाना है, कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) की श्रेणी में कृल पद संख्या के 33.113 प्रतिणत से ग्रश्चिक नहीं होगी।

हिष्पण 3:—जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेत्रा पूरी कर ली है, प्रोक्षित के लिए अन्य उचेष्ठ व्यक्तियों के साथ विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों पर भी प्रोक्षित के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई दूमेंबा, अपेक्षित अर्हक/पावता सेवा से एक वर्ष से अधिक/कम नहीं है और उन्होंने अपनी परिवीक्षा स्रविध सफलताप्रवेक पूरी की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरणः केन्द्रीय सरकार् के ब्रधीन ऐसे ब्रधिकारीः

- (क) (।) जो निशमित अधार पर सदृण पद ध्रारण किए हुए हैं; या
 - (2) जिन्होने 2200-4000 रुपए या समतुष्य वेतनमान वाले पढ़ों पर पांच वर्ष नियमित सेवाको है ;
 - (3) जिल्होंने 2000-3500 रुपण या समतुल्य वेतनमान बाले पदों में याठ वर्ष नियमित सेवाकी है ;
- (অ) जिनके पास निम्नलिखित श्रह्ताएं और श्रनुभव हैं।
 - (1) किसी मान्यता प्राप्त विष्यविद्यालय से विद्युत्त इंजीनियरी में डिग्री या समतुत्य ;
 - (2) पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

 पोपक प्रवर्ग के ऐसे थिसागीय अधिकारी, जो प्रोक्षित की सीधी यंक्ति मी है, प्रतिनिपुक्ति पर निपुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोक्षित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अन्तर्गत, केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति मे ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर, प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10 8 लागु नहीं होता 2 **वर्ष** भाग नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्निति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्वानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिन्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नित/प्रतिनियुक्सि/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रीणयां जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया आयेगा

11

12

प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और ऐसे सहायक इंजीनियर (सिविल) सहायक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल) ग्रधीक्षक इंजीनियर, श्रधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल) के इंजीनियरो सहायक जिनके पास इंजीनियरी में डिग्मी है ग्रीर उन्होंने उस श्रेणी में ग्राठ वर्ष नियमित सेवा की है सथा जिनके पास इंजीनियरी में डिप्लोमा है, उन्होंने उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: प्रोन्नित के लिये पान्नता सूची प्रधिकारियों द्वारा श्रपनी-श्रपनी श्रेणी, पदों पर श्रपेक्षित शर्हक सेथा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जायेगी।

टिप्पण 2: कार्यपालक इंजीनियर की, श्रेणी में पदों की कुल संख्या जो डिप्लोमा धारक ऐसे सहायक इंजीनियरों द्वारा किसी एक समय में भरी जानी है, कार्य-पालक इंजीनियर (सिविल) की श्रेणी में कुल पद संख्या के 33 113 प्रतिणत से ग्राधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने ग्रपनी श्र्महंक पालता सेवा पृरी कर ली है, प्रोन्नित के लिये अन्य ज्येष्ठ व्यक्तियों के साथ विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी प्रोन्नित के लिये विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके बारा की यई सेवा, श्रपेक्षित श्रहंक/पालता सेवा से एक वर्ष से श्रिक कम नहीं है और उन्होंने श्रपनी परिवीक्षा श्रवधि सफलतापूर्वक पूरी की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के मधीन ऐसे मधिकारी :

- (n)(1) जो नियमित भ्राधार पर सदृश पद भ्रारणा किये हुए हैं, या
- (2) जिन्होंने 2200-4000 रुपये या समतुल्य बेतनमान बाले पदों पांच वर्ष नियमित सेता की है, या
- (3) जिन्होंने 2000-3500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर में घ्राठवर्ष नियमित सेवाकी है; घौर
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित ग्रहेताएं ग्रौर अनुभव हैं:--
- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में कोई डिग्री या समतुल्य,
- (2) पांच वर्ष का वृत्तिक ग्रनुभव।

(11)

12

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय ग्रधिकारी, जो प्रोन्ति को सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पास नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियंकित व्यक्ति प्रोन्नति द्वारी नियंक्ति के लिये विचार किये जाने के पात नहीं होंगे।

प्रतिनिय्वित की ग्रयधि जिसके प्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस निय्क्ति से ठोक पहले धारित कियी प्रत्य काडर बाह्य गरपर प्रतिनियुक्ति की प्रविध है, साधारणतया तीन वर्ष से मधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये प्रधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अस्तिम तारीख को 56 वर्जसे अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय श्रीत्वति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा श्रामीग से परामर्ग किया जायेगा

(13)

समृष्ट "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये)

- । अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा श्रायोग--अध्यक्ष
- 2. संयक्त सम्बन, सम्बना घौर प्रसारण मंजालय-सदस्य
- 3. मुख्य इंजीनियर, भाकाशशाणी--सवस्य
- 4. मुख्य इंजीनियर, दूरवर्णन--सवस्य
- मुख्य इंजीनियर (सिबिल) सिविल निर्माण स्कम्ध—सदस्य

प्रत्येक ग्रवसर पर संब लोक सेवा ग्रागेप से परामर्ग करना आवश्यक है।

> [संबंधा 301/7/93 बी (बी)] एपामालिमा बैनजीं, श्रवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजयत्र में सा.का.नि. 370 ता. 28-3-88 के द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF **INFORMATION** AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th June, 1995

G.S.R. 327.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1988, namely :-

1, (1) These rules may be called the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

- (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- 2. In the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1988, in the Schedule for serial numbers 2, 3, 5 & 6 relating to the post of Super-intending Surveyor of Works (Electrical) Superintending Engineer (Electrical), Superintending Surveyor of Works (Civil) Superintending Engineer (Civil) ineer (Civil), Executive Engineer (Electrical)|
 Surveyor of Works (Electrical), Executive Engineer (Civil)|Surveyor of Works (Civil)|Engineer
 Officer to Chief Engineer (Civil) respectively for the existing entries the following shall be substituted, namely :--

SCHEDULE

-			SCHEDULE			
Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	3* (1995) t to variated		3700-125-4700- 150-5000.	Selection	Not applicable	
Whether benefit of added years of service admissible 30 or the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational & other qualification required for direct recruits		qual ficat	age and educational ion prescribed for ruits will apply in th omotecs	Period of probation if any.	
(7)		(8)		(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable		Not applic	cable	Not applicable	
Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/ transfer and percentage of the vacancy to be filled by various Methods In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made		Committe on, composition	rtmental Promotion e exists what is its on.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment		
(11)		(12)	<u>-</u>	(13)	(14)	
Promotion failing which by transfer on deputation. Executive Engineers (Electrical) Surveyor of works (Electrical) with 5 years regular service in the grade and possessing a degree in engineering or equivalent qualification. Note: Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualiyfying/el gibility service by more than one year and have successfully completed their probation per od Transfer on deputation: Officers under the Central Government:		dering production Code dering production 1. Charma — Chairma — Chairma 2. Joint Ser Information Member 3. Chief En Radio— Member 4. Chief En — Member 5. Chief En Constrution	an/Member, UPSC on. cretary, Ministry of a & Broacdcast ng— regineer, All Ind a Member ingineer, Doordarsha			

12

- (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or
- (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and
 - (b) Possessing following qualifications and experience:
 - (i) Degree in Electrical Engineering from a recognised university or equivalent.
 - (ii) 8 Years professional experience.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/depratment of the Central Government shall ordinarily not to exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of appl cations).

	or appreau	10113).			
7	2	3	4	5	6
3. Superintending surveyors of works (Civil)/Superintendin Engineer (Civil)	11* (1995) g *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (non-ministerial)	3700-125- 47 00- 150-5000	Selection	Not applicable
(7)		(8)	(9)		(10)
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable
(11)		(12)	(13)		(14)
Promotion failing wh by transfer on deputa tion.	Executive I Surveyor of Engineer O 5 years reg	Engineer (Civil)/ f Works (Civil)/ officers (Civil) with ular service in the possessing a degree	Group A Depart motion Committee dering promotion 1. Chairman/Mer Public Service Co —Chairman	e (for consi-) nber, Union	Consultation with UPSC not necessary.

(12)

(13)

engineering from recognised university or equivalent qualification.

Note: Wehre juniors who have completed their qual fying eligibility service are being considered 4. Chief Engineer (Civil). Civil for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligioility service by more than one year and have successfully completed their probation period.

Transfer on Deputation: Officers under the Central Government:-(a)(i) Holding analogous posts on regular basis or

- (ii) with 5 years regular service in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and
- (b) Possessing following qualifications and experience:...
- (i) Degree in civil engineering from a recognised university or equivalent.
- (ii) 8 years professional experience.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appirtment in the same or some other organisation, department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

- 2. Joint Secretary Ministry of Information and Broadcasting -Member.
- 3. Chief Engineer All India Radio -Member.
- Construction Wing-Member.

1362 THE G	AZEITE OF INDIA: IOLY	8, 1995/ASADHA 17, 1917	[PART II—SEC 3(1)]
(1) .	(2) (3)	(4) (5)	(6)
5. Executive Engineer (Electrical/Surveyor of Works (Electrical) *Subject to dependent	(1995) Service Group 1 Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial,	00-100-3500- Selection Not ap 125-4500	pplicable
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for Assistant Engineers
(11)	(12)	(13)	(14)
	Promotion. Assistant Executive Engineers (Eelectrical) with 5 years regular service in the grade and Assistant Engineers (Electrical)/ Assistant Surveyor of Works (Electrical)/Engineer Assistant to Superintending Engineer/Supintending surveyor of works (Electrical) having degree in engineering with 8 years regular service in the grade and those having a diploma in engineering with 11 years regular service in the grade. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the requisite qualifying service in the respective grade/post. NOTE 2: The total number of posts in the grade of Executive Engineer to be filled by the diploma holder Assistant Engineers at any point of time shall not exceed 33-1/3% of the sanctioned strength in the grade of Executive Engineers (Electrical). Note 3: Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualify ng/eligibility service by more than one year	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman. 2. Joint Secretary, Ministry of per- Information & Broadcasting—Member. 3. Chief Engineer, All India Radio—Member. 4. Chief Engineer (Civil), Civil Construction Wing —Member. 5. Chief Engineer (Doordarshan) —Member.	

(12)

and have successfully completed their probation period.

Transfer on deputation: Officers under the Central Government (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and

- (b) Possessing following qualifications and experience:
- (i) Degree in electrical engineering from a recognised university or equivalent.
- (ii) 5 years professional experence

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promot on shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date or receipt of applications).

.(1)	(2)	(3)	(4)
6. Executive Engineer (Civ 1)/Surveyor of Works (Civ 1)/Engineer Officer to Chief Engineer (Civil).	60* (1995) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministe	Rs. 3000-100-3500-125- 4500. erial

564 THE C	CAZETTE OF INDIA	A; JULY 8, 1995	/ASADHA 17, 1917	[PART II—SEC. 3(i)]
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Net Applicable
400	(1)		(12)	
(10)	(11)		(12)	
2 years for Assistant Engineers	Promotion failing w transfer on deput	etion. Assisted regular control of the control of t	notion: stant Executive Engineer gular service in the grad agineers (Civil)/Assistant wil)/Engineer Assistant agineer/Superintending (Civil) having degree in gular service in the grad ploma in Engineer ng we e grade.	e and Assistant t Surveyor of Works to Superintending Surveyor of Works Engineering with 8 years le and those having
		pr by		or promotion shall be the date of completion isite qualifying service in
		Ex ho sh	ecutive Engineer to be older Assistant Engineer all not exceed 33-1/3%	s at any point of time
		qu fo de qu an	alifying eligibility service r promotion their senion red provided they are real- alifying/eligibility service	who have completed their ce are being considered its would also be considered to short of the requisite ce by more than one year appleted their probation
			sfer on Deputation : ters under the Central C	-
		(a) (ii	i) Holding analogous p	osts on regular basis; or service in posts in the scale
		(ii		service in posts in the scale
				lifications and experience :
		ur	degree in civil engined liversity or equivalent.	951 55 8
35		The state of the s) 5 years professional o	Contract of the Contract of th
		w	departmental officers of no are in the direct line gible for appointment of	of promotion shall not be

v%.

(12)

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadro post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.)

The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(14)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of :

- 1. Chairman/Member. Union Public Service Commission
 —Chairman
- 2. Joint Secretary, Ministry of Information & Broadcasting Member
- 3. Chief Engineer, All India Radio
- 4. Chief Engineer, Doordarshan
- --Momber
 --Member
- Chief Engineer (Civil). Civil Construction
 Wing —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 301/7/93-B(D)]

SHYAMALIMA BANERJEE, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide GSR No. 370 dated 28-3-1988 in the Gazette of India,

जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन पक्ष) नई विल्ली, 29 जुन, 1995

मा.का.नि. 328 — वाणिज्य पोत परिवहन (मुरक्षा कर्न्यंगन प्रमाणपत्र) संबोधन नियम, 1994 का एक प्राक्ष्य , वाणिज्य पोत परिवहन प्रक्षित्रमम, 1958 (1958 का 44) का धारा 299व्य और श्राप्त 344 को प्रपेशानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जिसके उससे प्रभावित होने को संभावना थी, जानकारी के लिए, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्डा 3, उपखण्डा (i), तारीखा 1 प्रक्तूबर, 1994 में, भारत संस्कार की प्रशिक्षचना सा.का.नि. 492, तारीखा 9 सितम्बर, 1994 के प्रधीन प्रकाशित किया गया था। जिसमें उका प्राक्ष्य नियमों की बाबत, उस तारीखा से, जिसकी भागन के राजपत्र में यथाप्रकाशित प्रधिमूचना की प्रतियो जनता को उपलब्ध क्या दो गई थी, तीस दिन की प्रविध तक प्राक्षिय जीता कोस प्रविध तक प्राक्षिय जीता की प्रविध तक प्राक्षिय जीता साथ गये गए थे।

और उन्नत राजपन्न 1 मक्तूबर, 1994 को जनता को उपलब्ध करा विमा गया था;

और कोई माञ्जेष या सुमाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

धतः, प्रव, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवक्त प्रधितियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 299 ख की उपधारा (2) के खण्ड (घ), ± 1509 GI|95--9.

षारा 344 और धारा 344म की उपधारा (2) के खंड (य) और खंड (VI) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग भरते हुए, वाणिज्य पोत परिवहत (सुरक्षा कल्वेंशन प्रमाणपत्र) नियम, 1968 का और संभोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रयोत् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पीत परिवहन (नुस्क्षा कन्वेंशन प्रमाण पत्र) संगोधन नियम, 1995 है।
 - (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. वाणिज्य पोन परिवहन (सृरक्षा कर्लोगन प्रमाणयञ्च) नियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पर्यात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के परन्तुक में, 5 वजे भ्रथराह्न और 7 बजे पूर्वाह्न अंकी और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित अंक और शब्द रख जाएंगे; प्रथात्:—

¹¹6 बजे भपराह्न और ७ बजे पूर्वीह_{्न}ें।

 उक्त नियम में, पहली धनुसूची के स्थान पर निस्तिलिखित धनु-सूची रखी जाएंगी, धर्यान् :--